<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)</u>

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 143 / 2018 दायर दिनांकः– 11 / 10 / 2018

जीसीएमएस नं0ः–2018 / 00351 निर्णय दिनांकः– 11 / 06 / 2024

वउनवान

1. हीरामन पुत्र सुकपाल जाति मीना निवासी नगला तरफ बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

------वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

------प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितिः–1.श्री गिरधारी लाल शर्मा अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर

<u>–ःनिर्णयः–</u>

संक्षिप्त तथ्य वाद वादी इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 0.15 हैक्ट0 278 रकबा 0.63 हैक्ट0 ग्राम नगली तरफ बायडा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का हिस्सा जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 285 के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का नाम हीरामन पुत्र सुकपाल दर्ज है। वादी के चाचा रामचन्द्र के फौत हो जाने के बाद उसके हिस्सा की आराजी जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 309 के द्वारा वादी को प्राप्त हुई जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का ने वादी का नाम हीरामन के स्थान पर हीरालाल दर्ज कर दिया है। जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:23 IST
Reason: SelfAttested

आराजी बाबत वादी का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरामन दर्ज कर दावा वादी डिक्री किया जावे। वादी ने प्रतिवादी एंव उनके अधीनस्थ कर्मचारियान से विवादित आराजी बाबत वादी का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरामन दर्ज करने को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। तब वादी ने अपने अधिवक्ता से कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 80 जा0दी0 क नोटिस मियादी 60 दिवस रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भिजवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरामन दुरूस्त नहीं किया है। अतः वादी ने राजस्व रेकार्ड से अपना नाम हीरालाल के स्थान पर हीरामन कराने व दावा वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से सरकार पैरोकार तहसीलदार कठूमर ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम विरासत इन्तकाल से दर्ज हुआ है जिसे दस्तावेज पेश कर सही नहीं कराया जा सकता वादी विरासत इन्तकाल की अपील कर ही अपने नाम को सही करा सकता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत् संवत् 2069 से 2072 व जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 वाके ग्राम बायडा पेश की है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी साबित होने से डिक्री किये जाने का निवेदन किया व पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने विद्वान अधिवक्ता वादी के कथनों का विरोध किया। जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 में इन्तकाल संख्या 285 सुखपाल फौत विरासत हीरामन पप्पू पुत्र सुखपाल परवो, लाली पुत्री सुखपाल का [illegible] कि वादी के चाचा रामचन्द्र के फौत होने पर जो विरासत [illegible] हुआ उसमें वादी का नाम हीरामन के स्थान पर ही[illegible]जमाबन्दी में विवादित आराजी बाबत हीरालाल पुत्र सुकपाल के नाम खाते[illegible] का अंकन है। अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा –88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य हैं। वादी सक्षम न्यायालय में नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:23 IST
Reason: SelfAttested

अपील कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है अतः हाल राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम हीरालाल के स्थान पर हीरामन दुरूस्त कराने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः दावा वादी साबित नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा—88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नही होने से खारिज फरमाया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/143/2018 दायर दिनांकः– 11/10/2018

जीसीएमएस नं0:–2018/00351 निर्णय दिनांकः– 11/06/2024

वउनवान

1. हीरामन पुत्र सुकपाल जाति मीना निवासी नगला तरफ बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

------डिक्री

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

------मदयूनान्

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा–88, 89राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा–88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नहीं होने से खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय दिनांक 11.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:23 IST
Reason: SelfAttested

11.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)